UPAG010056932026

न्यायालय–विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट), आगरा।

उपस्थित : शिव कुमार-II, एच0जे0एस0– UP06100

जमानत प्रार्थनापत्र सं0– 2405/2026

मनीष ठाकुर पुत्र स्व0 प्रमोद कुमार, निवासी– दिनेश नगर, थाना सिटी कोतवाली, जनपद एटा, उम्र करीब 24 वर्ष।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 सरकार .....विपक्षी

सेशन केस सं0 863/2026
अपराध सं0–146/2026
धारा– 69, 115(2), 351(2), 352 बी.एन.एस.
एवं धारा 3(2)5 एस.सी.एस.टी. एक्ट
थाना– सिकन्दरा, जिला आगरा।

दिनांक 19.06.2026

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त **मनीष ठाकुर** की ओर से सेशन केस सं0 863/2026, अपराध सं0–146/2026, धारा–69, 115(2), 351(2), 352 बी.एन.एस. एवं धारा 3(2)5 एस.सी.एस.टी. एक्ट, थाना– सिकन्दरा, जिला आगरा के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त के पैरोकार राहुल सिंह के शपथ पत्र से समर्थित है जिसमें यह वर्णित है कि यह अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नही है।

3– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार हैं कि वादिया शिवानी सिंह द्वारा थाना सिकन्दरा, आगरा पर इस आशय की तहरीर दी गयी कि मनीष ठाकुर मुझे स्नैप चैट से लगभग जनवरी से पीछे पड़ा था। दिनांक 28.02.2026 को वह मुझे घुमाने के बहाने मथुरा वृन्दावन ले गया था वहां से अपने बड़े भाई राहुल ठाकुर के घर ले गया वहां उसने मुझसे शादी का वादा कर, मेरे मना करने पर जबरदस्ती मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाये। उसके बाद मनीष मुझे दोबारा दिनांक 06.03.2026 को राहुल के घर रूनकता लाया, इस बार उसका मित्र कुनाल ठाकुर भी साथ था वहां उसने उसी रात व दूसरे दिन 07.03.2026 को मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाये तथा रात को मैंने जब उसे किसी अन्य लड़की के साथ चैठ करते पकड़ा तो उसने मेरे उपर चीखना–चिल्लाना शुरू कर दिया और मुझे मारापीटा व जान से मारने की धमकी दी। उसने जानबूझकर मुझे धोखा दिया तथा मेरी भावनाओं का गलत फायदा उठाया है।

4– वादिया मुकदमा की तहरीर के आधार पर थाना सिकन्दरा, जिला आगरा पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0 146/2026 अभियोग पंजीकृत कराया गया तथा बाद विवेचना अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध धारा– 69, 115(2), 351(2), 352 बी.एन.एस. एवं धारा 3(2)5 एस.सी.एस.टी. एक्ट के अतंर्गत आरोप–पत्र प्रेषित किया गया।

5– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है अभियुक्त को झूँठा फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष की कहानी गलत, झूँठी व बनावटी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से पंजीकृत करायी गयी है, विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। वादिया/पीड़िता कई लोगों के खिलाफ दुष्कर्म करने की शिकायत करके पैसा ऐंठ चुकी है, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह झूँठा मुकदमा दर्ज कराया है। अभियुक्त को वादिया ने स्वयं प्रेमजाल में फंसाया है और दोनों चैटिंग कर आपस में खूब बाते की है तथा वादिया, अभियुक्त को ब्लैकमेल करके धन ऐंठने की फिराक में है। अभियुक्त अच्छे भले घर का सदस्य है। अभियुक्त दिनांक 17.04.2026 से जिला कारागार आगरा में निरूद्ध है। अतः जमानत दिये जाने की याचना की गई है।

6– वादिया मुकदमा को नोटिस प्राप्त कराया जा चुका है। अभियेाजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक, फौजदारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा वादिया/पीडिता को शादी का झांसा देकर जबरन बलात्कार किया गया है तथा विरोध करने पर पीड़िता के साथ मारपीट कर, गालीगलौच कर, जान से मारने की धमकी दी गयी है तथा अभियुक्त द्वारा यह जानते हुए कि पीडिता पक्ष अनुसूचित जाति की सदस्या है, को सार्वजनिक स्थान पर जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया गया है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की याचना की गयी।

7– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, वादिया के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक, फौजदारी को सुना गया तथा पत्रावली एवं अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया गया।

8– केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा वादिया/पीडिता को शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरन बलात्कार करने, मारपीट करने, गालीगलौच करने, जान से मारने की धमकी देने तथा अभियुक्त द्वारा यह जानते हुए कि पीडिता पक्ष अनुसूचित जाति की सदस्या है, को सार्वजनिक स्थान पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित करने का आरोप है। केस डायरी में विवेचक द्वारा पीड़िता का बयान धारा 180 व 183 बी.एन.एस.एस. अंकित किया गया है जिसमें कथन किया कि– अभियुक्त द्वारा दिनांक 28.02.2026 को मथुरा वृन्दावन घुमाने

के बहाने ले जाकर, वहां से अपने भाई राहुल ठाकुर के घर सिकन्दरा में पीडिता को शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने तथा उसके पश्चात दिनांक 06.03.2026 व 07.03.2026 को भी अभियुक्त द्वारा जबरदस्ती शारीरिक संबधं बनाने एवं विरोध करने पर मारपीट करने, गालीगलौच करने व जान से मारने की धमकी दिये जाने का कथन किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा पीडिता के साथ जबरदस्ती बलात्संग कर, मारपीट कर, जान से मारने की धमकी दी गयी तथा यह जानते हुए कि वादिया/पीड़िता अनुसूचित जाति की महिला है, उसे जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित करने का गम्भीर प्रकृति का अपराध किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना पश्चात आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है। मामला अत्यंत गंभीर प्रकृति का है।

9– अतः मामले के उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों तथा अपराध की गम्भीरता व प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने हेतु पर्याप्त आधार नहीं है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **मनीष ठाकुर** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र सं0 2405/2026, सेशन केस सं0 863/2026, अपराध सं0–146/2026, धारा– 69, 115(2), 351(2), 352 बी.एन.एस. एवं धारा 3(2)5 एस.सी.एस.टी. एक्ट, थाना– सिकन्दरा, जिला आगरा के मामले में निरस्त किया जाता है।

(**शिव कुमार-II**)
विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.आी.एक्ट),
आगरा।

Digitally signed by Shiv Kumar II
Date: 2026.07.03 12:50:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court